



पत्रांक:-मे०का०दे०/एस०आर०/नियुक्ति/2022-23/

दिनांक 16/11/23

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक:-मे०का०दे०/विज्ञप्ति/सूचना/2022-23/1614, दिनांक 27.02.2023 के विज्ञप्ति द्वारा महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त हुए सीनियर रेजीडेंट (वेतनमान रु० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु० 6600) के लिए दिनांक-04.10.2023 को सम्पन्न वॉक इन इन्टरव्यू (Walk in Interview) में कमेटी की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्य करने हेतु चयनित किया जाता है।

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	कटेगरी	आवंटित विभाग	मो०न०
01	Dr. Dheeraj Singh	Shri Prameshwar Singh	UR	इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग	8750388314

महानिदेशक कार्यालय के पत्र संख्या-एम०ई०-3/2022/1540, दिनांक-30 जून 2022 के सन्दर्भ में सीनियर रेजीडेंट की नियुक्ति जनहित, संस्था हित एवं रोगी हित के लिए किया जा रहा है जो कि बाण्डधारक अभ्यर्थियों की तैनाती के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की अवधि तक के लिए मान्य है एवं चयनित अभ्यर्थियों को आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित हो कर निम्न शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति आदेश के 05 कार्य दिवस के भीतर संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
02. सीनियर रेजीडेंट मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न तो कही प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा।
03. सीनियर रेजीडेंट को महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
04. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजनक न पाये जाने पर आपकी सेवाये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
05. यह नियुक्ति आरम्भिक 03 माह हेतु किया जा रहा है। सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रबल संस्तुति अनुमोदन के पश्चात त्रैमासिक समीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए मान्य होगी या महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से अनिवार्य शासकीय बान्ड पर सीनियर रेजीडेंट की नियुक्ति से जो पहले हो के लिए मान्य होगी।
06. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
07. कार्यस्थल पर नियमितता एवं समयबद्धता अनिवार्य है। बिना प्रतिस्थानी की उपलब्धता के कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
08. किसी भी प्रकार का हड़ताल या आन्दोलन करने पर नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
09. सीनियर रेजीडेंट चिकित्सालय से किसी भी रोगी को बाहर उपचार कराने हेतु बाध्य नहीं करेगा। किसी भी शिकायत की स्थिति में अंतिम बार का वेतन नहीं देते हुए तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
10. आपकी नियुक्ति ई०डब्ल्यू०एस० श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किया जा रहा है।

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
तददिनांक

पत्रांक/मे०का०दे०/एस०आर०/नियुक्ति/2022-23/ 1536

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र०, लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
03. मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
04. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
05. प्रभारी अधिकारी बेवसाइट, मेडिकल कालेज, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
06. सम्बंधित विभागाध्यक्ष
07. वित्त नियंत्रक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
08. सूचना, पट, कालेज।
09. गार्ड फाईल।

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।